राष्ट्रपति
(President)

- संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रि-परिषद् से मिलकर बनी है.
- राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है और उसका पद सरकारी अधिकारियों में उच्चतम और सर्वाधिक सम्मानित है. यह परम्परा ब्रिटेन से ली गई है. जहाँ अभी भी राजा को राज्य का प्रमुख माना जाता है. परन्तु ब्रिटेन में राजा वंशानुगत होता है, जबकि भारत के राज्याध्यक्ष एवं सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है.
- संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा.
- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का विशेष महत्व है. इसके चार प्रमुख कारण हैं–प्रथम, राष्ट्रपति ऐसे समूह द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें सम्पूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का समावेश होता है. इसमें राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं. द्वितीय, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वह संविधान की रक्षा के रूप में होती है. तीसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गयी है. चौथा देश के प्रति रक्षा बलों के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है.
- संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएँ निश्चित की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं–
  1. वह भारत का नागरिक हो.
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो.
  3. लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो. अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए.
  4. भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण न किये हो.

  अनुच्छेद 58(2) की व्याख्या के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्यों के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है. किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उसे पद के अतिरिक्त अन्य पद को रिक्त करना होगा.

  राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता. यदि इन विधानमण्डलों का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो, तो जिस तिथि से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसी तिथि से उस सदन में उसकी सदस्यता का अन्त हो जाएगा.
- 4 मार्च, 1974 को संसद ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सम्बन्धी (संशोधन) विधेयक पारित किया. इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा. उसे 2,500 रुपये की जमानत दाखिल करनी होगी. राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दस सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे और दस सदस्य ही अनुमोदन करेंगें. इसका उद्देश्य अवांछनीय प्रत्याशियों पर प्रतिबन्ध लगाना है.

Scanned with CamScanner

- जून, 1997 में एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से गैर-गम्भीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रत्याशी की जमानत राशि तथा प्रत्याशी के प्रस्तावकों, अनुमोदकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है. अब राष्ट्रपति के प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जमानत देनी होगी तथा आवेदकों, अनुमोदकों की संख्या 50 कर दी गई है.
- संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निश्चित किया गया है. वह अपने पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी उस समय तक बना रहेगा, जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले.
- राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं. अपने पद के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न कारागार भेजा जा सकता.
- राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके विरुद्ध दण्ड... कोई प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती है... दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, ले... की लिखित सूचना दो माह पूर्व देनी हो...
- संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में ... का उल्लेख किया गया है.
- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ...